

## कार्यालय वन वृत, सागर मध्य प्रदेश

E-mail – ccf.sgr@mp.gov.in, cfsagar@gmail.com, Phone & Fax No.-07582-236262

क्रमांक/मा.चि./1346  
प्रति,

सागर, दिनांक 05/08/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(भू-प्रबंध)  
मध्य प्रदेश भोपाल ।

विषय:- Diversion of 2.070 ha Forest land for construction 33 KV Gourjhamar to Deori Vidyut Transmission Line in favour of Superintendent Engineer, M.P. East Regional Electricity Distribution Comp.Ltd. in Sagar, MP.

संदर्भ:- आपका क्रमांक/एफ-4/2015/10-11/841 दिनांक 20/04/2016 एवं वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर का पत्र क्रमांक/मा.चि./1121 दिनांक 03/08/2016

---000---

विषयांकित प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 20/04/2016 के निर्देशानुसार वांछित 07 बिन्दुओं की जानकारी आवेदक संस्थान, वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर से प्राप्त एवं मुख्य वन संरक्षक स्तर की निम्नानुसार प्रेषित है:-

- 1- प्रस्ताव के Part-I में आवेदक संस्थान एवं वन मंडल अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कर संलग्न प्रेषित है।
- 2- मुख्य वन संरक्षक का निर्धारित प्रपत्र में अनुशंसित Part-III संलग्न है।
- 3- पूर्व में FRA certificate upload किया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न प्रेषित है।
- 4- A certificate of distance from Protected Areas संलग्न प्रेषित है।
- 5- आवेदक संस्थान से प्राप्त Rehabilitation Certificate संलग्न प्रेषित है।
- 6- वन मंडल स्तर से पूर्व में Geo-referenced Map of CA in KML file format में upload किया गया था। सुलभ हेतु प्रस्तावित CA भूमि की GPS reading एवं GEO Reference map संलग्न प्रेषित है।
- 7- वन मंडल स्तर से पूर्व में निर्धारित प्रारूप में अनुशंसा पत्र upload नहीं किया गया था एवं प्रस्ताव का Save कर दिया गया था। Save करने के उपरांत वन मंडल स्तर से Online के Part-II में वन मंडल अधिकारी द्वारा किया गया Recommendation Online upload नहीं हो रहा था। तत्संबंध में MOEF help desk New Delhi दूरभाष क्रमांक 01124695407 पर चर्चा की गई। उक्त चर्चा अनुसार Recommendation की प्रति monitoring-fc@nic.in पर email करने एवं EDS के द्वारा भेजने हेतु निर्देश दिये गये हैं। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./62-63 दिनांक 15/01/2016 से उक्त कार्यवाही पूर्ण की गई। निर्धारित प्रारूप में Recommendation की छायाप्रति एवं की गई कार्यवाही की प्रतियों संलग्न प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार वन मंडल एवं मुख्य वन संरक्षक स्तर से की गई कार्यवाही EDS के माध्यम से Online प्रेषित की जाकर Hard copy आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(कमलेश चतुर्वेदी)

भा.व.से.1988

मुख्य वन संरक्षक

सागर वृत सागर

सागर दिनांक 05/08/2016

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि./1347

प्रतिलिपि -

1. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 03/08/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक  
सागर वृत सागर

4/8/16 105

# कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2016/ 1121  
प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,  
सागर वृत्त सागर

5015  
पा/8/16

सागर, दिनांक

3-8-16

विषय :- सागर जिले के अंतर्गत गौरझामर से देवरी 33 के.व्ही. गौरझामर से देवरी विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु रकवा 2.070 हे. वनभूमि आवेदक संस्थान को उपयोग पर देने बावत्।

- संदर्भ :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. का पत्र क्रमांक/ एफ-4/2015/10-11/842 दिनांक 20.04.2016
  2. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2254 दिनांक 23.04.2016
  3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./62-63 दिनांक 15.01.2016
  4. अधीक्षण अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं लिमि.सागर का पत्र क्रमांक/876 दिनांक 16.05.2016

विषयांकित में वरिष्ठ के संदर्भित पत्र दिनांक 20.04.2016 के निर्देशानुसार वांछित बिन्दु क्रमांक 01 से 07 तक की जाकनारी निम्नानुसार आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार, बिन्दु क्रमांक 01 से 07 की जानकारी।

वनमंडल अधिकारी  
दक्षिण सागर (सा.) वनमंडल  
सागर, दिनांक

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2016/  
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. का पत्र क्रमांक/एफ-4/2015/10-11/842 दिनांक 20.04.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. सागर को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार, बिन्दु क्रमांक 01 से 07 की जानकारी।

वनमंडल अधिकारी  
दक्षिण सागर (सा.) वनमंडल

**FORM - A**

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,198  
for Diversion of fresh forest area

**PART - I**

(To be filled up by User Agency)

**A. General Details****A-1. Project Details**

- (i). **Proposal No. :** FP/MP/TRANS/8068/2014
- (ii). **Name of Project for which Forest Land is required :** 33 KV Transmission Line Gourjhamar to Deori Sagar Dist
- (iii). **Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required :** 33 KV Transmission Line Gourjhamar to Deori Sagar Dist MP Forest area 2.070 ha. affected in South Sagar Division during the construction of Transmission Line
- (iv). **State :** Madhya Pradesh
- (v). **Category of the Project :** Transmission Line
- (vi). **Shape of forest land proposed to be diverted :** Linear
- (vii). **Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) :** 10695863.64
- (viii). **Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.):** 2.07
- (ix). **Non-Forest Land required for this project(in ha.):** 0
- (x). **Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years):** 99

**A-2. Details of User Agency**

- (i). **Name :** MPPKVCL SAGAR

(iii). Address2 : Narsingpur Road Makroniya SAGAR

(iv). State : Madhya Pradesh

(v). District : Sagar

(vi). Pin : 470004

(vii). Landmark : Makroniya

(viii). Email address : se9551000@yahoo.co.in

(ix). Landline Telephone No. : 7582-261191

(x). Fax No. : 7582-7582

(xi). Mobile No. : 9425613978

(xii). Website (if any) : www.mpez.co.in

(xiii). Legal status of User Agency : State PSU

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Gyan

(ii). Middle Name: Dutt

(iii). Last Name: Tripathi

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Executive Engineer

(vi). Address 1: Degree College Road Rehli

(vii). Address 2: NIL

CS  
D. F. O. South Sagar Division

(viii). State: Madhya Pradesh

(ix). District: Sagar

(x). Tehsil: Rehli

(xi). Pin: 470227


(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: nikhilgupta211@ymail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 7585-256364

(xv). Fax No.: 07585256364

(xvi). Mobile No.: 9425613978

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

## B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Sagar South(T)	2.07	0

els



Sagar Division

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Sagar	2.07	0




## B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Gourjhamar	2.07	0

## B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Transmission Line	2.064	0

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Sagar South(T)			
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 2.07			
(ii). : Linear			
(b). No. of Segments : One			
Segment wise details			
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments	
1.	2.07	 <a href="#">View File</a>	
(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 			
(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 			

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined: 

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 50

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 150

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ?  
: No

I. Status of Wildelife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

cls  
↓

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted: No Data

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?:  
No

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: No

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: Public utility projects (excluding mining and regularization of encroachments) involving less than 20 hecatres of forest land implemented by Govt. Departments in hill districts and in other districts having forest area exceeding 50% of the total geographical area

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
NIL		

Print page

**Executive Engineer (O&M)**  
M.P.P.K.V.V.Co.Ltd/Rehli Dn.

**D. F. O. South Sagar Division**



Part-III

14	Whether site, where the forest land involved in located has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/No). If yes, the date of inspection & observation made in form of inspection note to be enclosed.	No
15	Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information gives in Part-II and the recommendation of Deputy Conservator of Forests	Yes
16	Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.	MPPKVVCL Sagar MP के Online प्रस्ताव FP/MP/TRANS/8068/2014 में वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर के द्वारा प्रस्ताव के Online Part-II में की गई अनुशंसा के आधार पर वन मंडल दक्षिण सागर के परिक्षेत्र गौरझामर के अंतर्गत 33 KV Transmission line गौरझामर से देवरी तक निर्माण हेतु 2.070 ha. वनभूमि उपयोगार्थ देने की अनुशंसा की जाती है। अंतिम अनुमति के समय निर्देशित शर्तों को मान्य करना होगा।

Date:- 04/08/2016

Place:- Sagar

  
(Kamlesh Chaturvedi)

(IFS batch-1988)


Chief Conservator of Forest  
Sagar Circle Sagar

57°00"

78°57'15"

78°57'30"

Geo Reference map for CA Range Gourjhanar Div South S



23°30'00"


23°29'45"

23°29'30"

23°29'15"

Divison - South Sagar  
 Range - Gourjhanar  
 Beat - Chemadhana  
 Compartment no - PF 962  
 Proposed Land for - ~~CA 44~~ 4.14Ha.  
 Double Degraded Forest land for Transmission Line

GPS Coordination Points	
1	N 23° 29' 36.9" E 78° 57' 20.2"
2	N 23° 29' 35.5" E 78° 57' 16.6"
3	N 23° 29' 46.2" E 78° 57' 08.2"
4	N 23° 29' 48.0" E 78° 57' 11.2"



*(Signature)*  
 Executive Engineer (O & M)  
 M.P.R.V.V. Saha, ESUJ

D.F.O. South Sagar Division  
*(Signature)*

95

issued by the Gram

25

60

Annexure-II

FORM-II  
(For projects other than linear projects)  
Government of Madhya Pradesh  
Office of the District Collection Sagar.

No-----

dt. 21-09-14

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERS


In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the (MoEF) issued guide lines on submission of evidences for having initiated and Completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006. FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose it is certified that 2.01 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **M.P.P.K.V.V.C.L Sagar** (name of the agency) for construction of **33 kv line form Gourjhamer to Deori** (purpose for diversion of forest land in Sagar District falls within jurisdiction of **Gopalpura** village (s) in **Deori** tehsils

It is further certified that:

- The complete process for identification & settlement of rights under the FRA has been carry out for the entire **2.07** hectare of forest area proposed for diversion / copy of records and consultations and meetings of the forest rights committee(s) : Gram Sabha (s) ,Sub Division level Committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure - 1 to annexure -6
- The proposal for such diversion (with full details of the project & its implications in local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers who are eligible under the FRA:
- The each concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities processes under the FRA have been Carried out & the they have given their consent to the proposed Division & the compensation & ameliorative measures, if any, having understood the purpose & details of proposed Diversions. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Cheemadhana (Deori)** village(s) in enclosed as annexure- 1 to annexure -6
- The discussion and decision of such proposal had taken pace only when their was a question of minimum 50% of the members of the Gram Sabha present:
- A The diversion of forest land for facilities Managed by the Govt as required under section 3(2) FRA have been completed & the Gram Sabha given their consent to ::
- The rights of Primitive Tribal Groups & Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically Safeguard as per section 3(1)(e) of the FRA.



सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास  
सागर म०प्र०

  
वन उपनिवेशिकारी  
द्वितीय वन उपनिवेश, सागर

  
कलेक्टर  
सागर

कार्यालय ग्राम सभा पंचायत चीतादाना जनपद पंचायत देवरी  
जिला सीकर मध्यप्रदेश


### ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के द्वारा 33 kv गोरखपुर से देवरी विद्युत परिषण लाइन का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम गोपलपुर के आरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड के कक्ष क्रमांक RF-967, 968, RF-956 में/राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक ..... में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समय विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक ..... को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एदद द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांक :- 27.10.14

  
ग्राम सभा के अध्यक्ष  
श्री. देवरी जि. सीकर

हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

# कार्यालय ग्राम पंचायत वीमाढाना

विकास खण्ड देवरी, जिला - सागर (म. प्र.)

सरपंच

५

सचिव

क्रमांक २५१०.६०/२०००

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक २००९/०५/१५

२

विषय -> म.प्र. र्वक और विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा विद्युत परिधरण लाइन निर्माण वावड।

उपरोक्त विषयानुसंगित देखते हैं कि म.प्र. र्वक और

विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा आम गोपालपुर के कारभार प्लॉट नं. ४-७५-७. RF १६७, १६८ एवं RF १५६ की अर्जिते विद्युत लाइन हेतु व्यपक्ती के सहमति चाही गई है। आम सभा गोपालपुर के प्रकृत (५) दिनांक २०/०५/१५ के अनुसार आम सभा द्वारा सहमति की गई है। आम पंचायत को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है।

आम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।



आमलका दिनांक - 27/05/2014.  
 स्थान - सर्वजनिक बाजार शिम - गोपा बाजार

क्र. सं.	सदस्य के नाम	होटेलांक
1	शुक्ला	शुक्ला
2	अशोकवानी	
3	शिवानी	अशोकवानी
4	दुरगारानी	पेमरानी
5	दुकम	दुगारानी
6	वसिष्ठ	दुकम
7	रामप्रसाद	वसिष्ठ
8	दिलीप	रामप्रसाद
9	मन्वीबाई	दिलीप
10	जगदीश	मन्वीबाई
11	सिद्धेश्वरी	जगदीश
12	अनीता	सिद्धेश्वरी
13	विद्याबाई	अनीता
14	वसुंधरा	विद्याबाई
15	रुपश्री	वसुंधरा
16	वीरप्रसाद	रुपश्री
17	बाबूलाल	वीरप्रसाद
18	प्रभा शरणी	बाबूलाल
19	हरीबाई	प्रभा शरणी
20	वनीबाई	हरीबाई
21	रामलोग अम्बिकाणी	वनीबाई
22	सर्वजनिक बाजार	रामलोग अम्बिकाणी

वन प्रण्डलाधिकारी  
 वन विभाग मण्डल - सागर

आमलगा दिनांक - 27/05/2014.

70

58

स्थान - सर्वजनिक बाग़ाच शिम - गोपा बाग़ाच

क्र. संख्या	नाम	हस्ताक्षर
1	अन्या	अनुबन्धी
2	अशोकवानी	
3	अशोकवानी	अशोकवानी
4	अशोकवानी	अशोकवानी
5	अशोकवानी	अशोकवानी
6	अशोकवानी	अशोकवानी
7	अशोकवानी	अशोकवानी
8	अशोकवानी	अशोकवानी
9	अशोकवानी	अशोकवानी
10	अशोकवानी	अशोकवानी
11	अशोकवानी	अशोकवानी
12	अशोकवानी	अशोकवानी
13	अशोकवानी	अशोकवानी
14	अशोकवानी	अशोकवानी
15	अशोकवानी	अशोकवानी
16	अशोकवानी	अशोकवानी
17	अशोकवानी	अशोकवानी
18	अशोकवानी	अशोकवानी
19	अशोकवानी	अशोकवानी
20	अशोकवानी	अशोकवानी
21	अशोकवानी	अशोकवानी

वन मण्डलाधिकारी  
वकिण वन मण्डल - सागर





## मध्यप्रदेश पूर्वक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सागर

CIN : U40109MP2002SGC015120  
Registered Office : BLOCK NO.7, SHAKTI BHAWAN, RAMPUR, JABALPUR (M.P.)  
Web site : [www.mpez.co.in](http://www.mpez.co.in) e-mail [se9551000@yahoo.com](mailto:se9551000@yahoo.com)

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक 967, 968 एवं गोपालपुरा वन कक्ष 956 संरक्षित क्षेत्र से लगभग 12 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.)  
म०प्र०पू०क्षे०वि०वि०क०लि०, सागरवृत्त

  
  
**D. F. O. South Sagar Division**



## मध्यप्रदेश पूर्वक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सागर

CIN : U40109MP2002SGC015120  
Registered Office : BLOCK NO.7, SHAKTI BHAWAN, RAMPUR, JABALPUR (M.P.)  
Web site : [www.mpez.co.in](http://www.mpez.co.in) e-mail [se9551000@yahoo.com](mailto:se9551000@yahoo.com)

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक 967, 968 एवं गोपालपुरा वन कक्ष 956 संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 33 के.व्ही. गौरझामर से देवरी विद्युत लाइन निर्माण के दरमियान किसी भी प्रकार का पुर्नवास इत्यादि नहीं किया जाना है।

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.)  
म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0कं0लि0,सागरवृत

**D. F. O. South Saagar Division**

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि/06/2016/62  
प्रति,

सागर, दिनांक 15-1-16

Nodal Officer  
MOEF  
(monitoring-fc@nic.in)

विषय :- Registratin No FP/MP/TRANS/8068/2014 सागर जिले के अंतर्गत गौरझामर से देवरी 33 के.व्ही. गौरझामर से देवरी विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु रकवा 2.070 हे. वनभूमि आवेदक संस्थान को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. का पत्र क्रमांक/एफ-4 /2015/10-11/2941 दिनांक 15.12.2015 एवं मुख्य वन वृत्त सागर का पत्र क्रमांक/मा.चि./23 दिनांक 02.01.2016 तथा MOEF help desk New Delhi दूरभाष क्रमांक 01124695407 पर की गई चर्चा दिनांक 14.01.2016

विषयांकित में निवेदन हैं, कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनमंडल दक्षिण सागर के वन क्षेत्रों में 33 के.व्ही. गौरझामर से देवरी विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु रकवा 2.070 हे. के प्रस्ताव Registratin No FP/MP/TRANS/8068/2014 की वनमंडल स्तर से Online के Part-II में वनमंडल अधिकारी द्वारा किया गया Recommendation online upload नहीं हो रहा है।

तत्संबंध में MOEF help desk New Delhi दूरभाष क्रमांक 01124695407 पर चर्चा की गई है। उक्त चर्चा Recommendation की प्रति monitoring-fc@nic.in पर email करने एवं EDS के द्वारा भेजने हेतु निर्देश दिये गये। अतः Recommendation की प्रति email द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प. क्रमांक/मा.चि./06/2016/63  
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. का पत्र क्रमांक/एफ-4 /2015/10-11/2941 दिनांक 15.12.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./23 दिनांक 02.01.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


15/1/16  
वन मंडल अधिकारी  
दक्षिण सागर (सा.) वनमंडल  
15-01-2016  
सागर, दिनांक 15-1-16

15/1/16  
वन मंडल अधिकारी  
दक्षिण सागर (सा.) वनमंडल  
15-01-2016

**Recommendation letter (अनुशंसा पत्र)**

MPPKVVCL Sagar MP के Online प्रस्ताव FP/MP/TRANS/8068/2014 में वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर के परिक्षेत्र गौरझामर के अंतर्गत 33 KV Gourjhamar Deori Transmission line निर्माण हेतु 2.070 ha. वनभूमि उपयोगार्थ हेतु अनुशंसा की जाती है।

तिथि:- 15/01/2016  
स्थान:- सागर

  
(डॉ.एस.पी.तिवारी)  
वन मंडल अधिकारी  
वन मंडल दक्षिण सागर

## कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

कमांक/मा.वि/06/2016/60  
प्रति,

सागर, दिनांक 15-1-16

मुख्य वन संरक्षक,  
सागर वन वृत्त, सागर

विषय :- सागर जिले के अंतर्गत गौरझामर से देवरी 33 के.व्ही. विद्युत लाइन डालने हेतु प्रभावित 2.070 हे. वन भूमि आवेदक संस्थान को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष भू-प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. का पत्र कमांक/एफ-4/2015/10-11/2941 दिनांक 15.12.2015 एवं आपका पत्र कमांक/23 दिनांक 02.01.2016

उपरोक्त विषयांकित में निवेदन है, कि आपके संदर्भित पत्र दिनांक 02.01.2016 के निर्देशों के पालन में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनमंडल दक्षिण सागर के वन क्षेत्रों में 33 के.व्ही. गौरझामर से देवरी विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु रकवा 2.070 हे. के प्रस्ताव Registratin No FP/MP/TRANS/8068/2014 की Online कार्यवाही पूर्ण कर Part-I की Hard Copy सम्पूर्ण निर्धारित संलग्न आनलाइन बिन्दु अनुसार अधीक्षण अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. सागर से प्राप्त कर एवं वनमंडल स्तर से Online के Part-II की कार्यवाही पूर्ण की गई है। प्रस्ताव में वनमंडल अधिकारी द्वारा किया गया Recommendation online upload नहीं हो रहा है।

तत्संबंध में MOEF help desk New Delhi दूरभाष कमांक 01124695407 पर चर्चा की गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त Recommendation online upload किया जाना अभी संभव नहीं है। अतः उक्त Recommendation की प्रति monitoring-fc@nic.in पर email करने एवं EDS के द्वारा भेजने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त Recommendation की प्रति monitoring-fc@nic.in पर email द्वारा प्रेषित किया गया है। अतः online के Part-II की कार्यवाही पूर्ण कर Hard Copy संलग्न कर प्रभावित वनभूमि आवेदक संस्थान को उपयोग पर देने हेतु अनुशंसा सहित सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव की चार-चार प्रतियों में संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। प्रस्ताव चार प्रतियों में।

पृ.कमांक/मा.वि./06/2016/

प्रतिलिपि :-

अधीक्षण अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मंडल अधिकारी  
दक्षिण सागर (सा.) वनमंडल  
सागर, दिनांक 15-01-2016

वन मंडल अधिकारी  
दक्षिण सागर (सा.) वनमंडल